

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल0आर0/10645/2003/जयपुर सुमेरसिंह बनाम महेश कुमार</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
	<p style="text-align: center;"><b>एकलपीठ</b> <b>श्री रामदयाल मीणा, सदस्य</b></p> <p><b>उपस्थित:-</b> श्री अभिषेक छबड़ा, अधिवक्ता, प्रार्थी। श्री योगेन्द्रसिंह, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण ।</p> <p style="text-align: center;"><b>निर्णय</b> <b>दिनांक:-04.03.2022</b></p> <p>प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 84 के अन्तर्गत विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित किए गए निर्णय दिनांक 30.07.2003 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।</p> <p>प्रस्तुत निगरानी के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 120 रकबा 2.33 हैक्टर स्थित ग्राम किशोरपुरा, तहसील उदयपुरवाटी अपीलांट ने मूल खातेदार श्रीमती गीता देवी पत्नि रामावतार से दिनांक 6.6.2000 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की एवं विक्रय पत्र की अनुपालना में नामांतकरण संख्या 178 दिनांक 21.12.2000 को नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपीलांट के हक में स्वीकृत किया । नामांतकरण संख्या 178 के विरुद्ध रेस्पोंड संख्या 1 महेश कुमार ने अपर जिला कलक्टर, झुंझुनू के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसे अपर जिला कलक्टर, झुंझुनू ने अपने आदेश दिनांक 26.12.2001 से स्वीकार कर प्रकरण को एकपक्षीय सुनकर रिमाण्ड कर दिया । अपर जिला कलक्टर, झुंझुनू के आदेश दिनांक 26.12.2001 के विरुद्ध अपीलांटस ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जिसे विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर ने निर्णय दिनांक 30.07.2003 को खारिज कर दी। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 30.07.2003 एवं अतिरिक्त कलक्टर, झुंझुनू के आदेश दिनांक 26.12.2001 से असंतुष्ट होकर प्रार्थी ने यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की है ।</p> <p style="text-align: center;">उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  निगरानी/एल0आर0/10645/2003/जयपुर सुमेरसिंह बनाम महेश कुमार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>विद्वान वकील प्रार्थी-निगरानीकर्ता ने बहस में कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के विवादित मुद्दों को सही एवं वास्तविक अर्थों में कतई नहीं समझा तथा एक अनुचित अवैध एवं परवर्स निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालयों ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर कतई ध्यान नहीं दिया कि अपीलांत/प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि मूल खातेदार गीता देवी से उचित प्रतिफल देकर जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के क्रय तथा क्रय दिनांक से केता/प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काशत चला आ रहा है । पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में विवादित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होने की रिपोर्ट की है जिस पर कतई ध्यान नहीं दिया गया तथा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए विधिसम्मत रूप से स्वीकृत नामांतरण संख्या 178 को निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय अपर जिला कलक्टर, झुंझुनू ने अपीलांत की तामील हुए बिना ही एकपक्षीय आदेश पारित किया है जो कि न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत है । अपर जिला कलक्टर, झुंझुनू के न्यायालय से अपीलांत के पास किसी भी प्रकार को नोटिस तामील कुनिन्दा लेकर नहीं आया था ना ही अपीलांत ने सम्मन लेने से इंकार ही किया ना ही अपीलांत के सामने उसके मकान पर कोई नोटिस चस्पा ही किया गया ना ही अपर कलक्टर, झुंझुनू ने अपीलांत की चस्पानगी से तामील कराने हेतु कोई आदेश ही दिये है । वादग्रस्त भूमि से रेस्प0 संख्या 1 व अन्य का कोई संबंध नहीं रहा है । रेस्प0 ने द्वितीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्वीकार किया है कि 20,000/-रु0 बेचान बाबत् कोई लिखापढ़ी नहीं हुई थी तथा तथाकथित इकरारनामा दिनांक 23.09.1992 से भी रेस्प0 को किसी भी प्रकार से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है । इन समस्त महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं को नजरअंदाज कर जैर निगरानी आदेश पारित करने में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने त्रुटि कारित की है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने सिविल न्यायालय कनिष्ठ खण्ड के निर्णय दिनांक 24.07.2000 का सही अर्थ नहीं लगाया है । सिविल न्यायालय ने अपने निर्णय में केवल मात्र विवादित स्थल की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिये है ना कि राजस्व रिकार्ड के</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  निगरानी/एल0आर0/10645/2003/जयपुर सुमेरसिंह बनाम महेश कुमार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>अमल दरामद एवं राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियों बाबत् कोई आदेश पारित किया है । ग्राम पंचायत को किसी भी प्रस्ताव द्वारा किसी भी व्यक्ति का कब्जा मानने या ना मानने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । इसके बावजूद दोनों विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों ने ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को आधार मानकर प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने में गंभीर भूल की है। अतः निगरानी स्वीकार कर अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुंझुनू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2001 एवं विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.07.2003 निरस्त किये जावे तथा नामांतरण संख्या 178 दिनांक 21.12.2000 यथावत् रखा जावे । विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2009 पेज 800 एवं आर0बी0जे0 2011 पेज 559 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।</p> <p>विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है । श्रीमती गीतादेवी ने विवादित आराजी 20,000/-रु0 में नवम्बर 1972 में बैजनाथ को बेचान कर दी थी तथा कब्जा आराजी का संभला दिया था किन्तु इसकी लिखा-पढ़ी नहीं हुई थी । तत्पश्चात् गीतादेवी ने दिनांक 23.9.1992 को एक इकरारनामा बैजनाथ के पक्ष में लिख दिया किन्तु गीतादेवी द्वारा विक्रय पत्र के निष्पादन से इंकार किये जाने पर एक दावा सिविल न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, उदयपुरवाटी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें कमिश्नर नियुक्त हुआ एवं कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 14.7.2000 में विवादित भूमि पर रेस्पो0 का कब्जा बताया है जिसके आधार पर सिविल न्यायालय ने दिनांक 24.7.2000 को विवादित स्थल की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है । विवादित भूमि के संबंध में वाद के विचाराधीन रहते नामांतरण की कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिये। नायब तहसीलदार ने बिना मौका जांच किये नामांतरण तस्दीक किया है । विद्वान अतिरिक्त कलक्टर, झुंझुनू ने विधिसम्मत रूप से नामांतरण निरस्त कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है जो विधिसम्मत आदेश है । उक्त आदेश को विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर ने निर्णय दिनांक 30.7.2003 द्वारा यथावत् रखा है जो भी विधिसम्मत है । अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे । विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  निगरानी/एल0आर0/10645/2003/जयपुर सुमेरसिंह बनाम महेश कुमार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>डी0एन0जे0 2021 (4) सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ संख्या 1157 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया ।</p> <p>हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अधोपांत अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया।</p> <p>पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि ग्राम किशोरपुरा का नामांतरकरण सं. 178 निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 6-6-2000 के आधार पर प्रार्थी सुमेरसिंह के नाम नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी ने दिनांक 21-12-2000 को स्वीकृत किया है जिसे अप्रार्थी महेश कुमार ने जरिये अपील न्यायालय अपर जिला कलेक्टर झुंझुनू के समक्ष चुनौती दी है। अपर जिला कलेक्टर झुंझुनू ने अप्रार्थी महेश कुमार की अपील स्वीकार करते हुये प्रकरण तहसीलदार उदयपुरवाटी को प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रार्थी सुमेरसिंह ने द्वितीय अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी के संबंध में एक वाद सिविल न्यायालय उदयपुरवाटी के समक्ष विचाराधीन है जिसमें आदेश दिनांक 24-7-2000 द्वारा विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये गये है। कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 14-7-2000 अनुसार विवादित आराजी पर अप्रार्थी महेश कुमार का कब्जा है। बिना कब्जे के नामांतरकरण की कार्यवाही अनियमित की संज्ञा में आती है। तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विवादित नामांतरकरण सं. 178 दिनांक 21-12-2000 मौके एवं कब्जे की जांच किये बिना तथा बिना सुनवाई के तस्दीक किया गया है, जिसे दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उचित नहीं माना गया है। तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण के तत्समय सिविल न्यायालय के यथास्थिति के आदेश लागू थे, जिसकी अनदेखी तहसीलदार द्वारा की गई है। हमारी सुविचारित राय में नामांतरकरण की कार्यवाही एक फिस्कल प्रासिडिंग है जिसके आधार पर किसी पक्ष के हक हकूक व अधिकार तय नहीं होते। नामांतरकरण के माध्यम से सिविल वाद के विचाराधीन रहते नामांतरकरण तस्दीक नहीं किया जाना चाहिये था अर्थात नामांतरकरण विवादित होना पाये जाने से राजस्व रिकोर्ड में नामांतरकरण पर विवादित होना लिखा जाना तथा संपत्ति को वाद के निर्णय की पालना तक</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  निगरानी/एल0आर0/10645/2003/जयपुर सुमेरसिंह बनाम महेश कुमार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>खुर्दबुर्द नहीं करने तथा पक्षकारों के मध्य जो सिविल वाद विचाराधीन है, उसके निर्णय के अनुसार नामांतरकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही की जानी चाहिये। तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विवादित आराजी पर यथास्थिति के आदेश होने के बावजूद विवादित नामांतरकरण सं. 178 दिनांक 21-12-2000 मौके एवं कब्जे की जांच किये बिना तथा बिना सुनवाई के तस्दीक किया गया है, जिसे अपर जिला कलेक्टर झुंझुनू ने अपने आदेश दिनांक 26-12-01 द्वारा निरस्त करते हुये प्रकरण उचित जांच एवं कार्यवाही अनुसार उभय पक्ष को सुनकर नियमानुसार निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार उदयपुरवाटी को प्रतिप्रेषित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं होने से न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा भी अपर जिला कलेक्टर झुंझुनू के निर्णय का समर्थन करते हुये तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा तस्दीक विवादित नामांतरकरण सं. 178 अवैध माना है तथा प्रार्थी की द्वितीय अपील खारिज की है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो पाये जिससे अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके।</p> <p>उपरोक्त विवेचन के आलोक में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निष्कर्षों में निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप करने का कोई आधार हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है तथा दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधि संबंधी कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होने से निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।</p> <p>परिणामतः हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे। निर्णय की सूचना जरिये कम्प्यूटर उभयपक्ष को दी जाकर पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफतर हो।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"><b>(रामदयाल मीणा )</b> सदस्य</p>	